

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर



ग्राम : सूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0751-244228
ई-मेल : E-mail:
jiwajidcdc@gmail.com
Website:
<http://www.jiwaji.edu/>

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2022/ 8811

दिनांक: 22-07-2022

प्रति,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

विषय:- “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” के परिपेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के रचनाकारों से विस्तृत बायोडाटा एवं कृति सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक-899/118/आउशि/शा-5‘अ’/2022 भोपाल दिनांक
05/07/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” के तहत स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है। “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” के परिपेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त विषय में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे रचनाकार जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य सहित अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय पर मौलिक लेखन किया है। ऐसे रचनाकारों से उनका विस्तृत बायोडाटा एवं प्रकाशित प्रति आमंत्रित की जाती है।

अतः विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक रचनाकार जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य सहित अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित मौलिक लेखन कार्य किया है। उनके नाम, विषय एवं रचनाकारों का विस्तृत बायोडाटा प्रकाशित कृति सहित की जानकारी डी.सी.डी.सी. शाखा की ई-मेल आई.डी. (jiwajidcdc@gmail.com) पर दिनांक 25.07.2022 सांय 04 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें।


डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 899/118/आजशि/शा-5'अ'/2022

भोपाल, दिनांक 05/07/2022

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय- "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के रचनाकारों से विस्तृत बायोडाटा एवं कृति सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्त विषय में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के ऐसे रचनाकार जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य सहित अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित विषय पर मौलिक लेखन किया है, ऐसे रचनाकारों से उनका विस्तृत बायोडाटा एवं प्रकाशित कृति आमंत्रित की जाती है।

अतः उपरोक्त विषय में समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एवं कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक रचनाकार जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य सहित अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित मौलिक लेखन कार्य किया है। उनके नाम, विषय एवं रचनाकारों का विस्तृत बायोडाटा प्रकाशित कृति सहित कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, तीसरी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पते पर दिनांक 20 जुलाई 2022 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक: 507/285/आजशि/शा-5'अ'/2022

भोपाल, दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशास./निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

---की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R-275

DCDC.
D.R. (Action)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

आयुक्त
21/7/22
3:20 PM